तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
19/3/26	पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं व वादी वकील उपस्थित नहीं है। प्रकरण वर्ष 2024 का है तथा लगभग 1½ वर्ष से पत्रावली सम्मन प्रेषण में ~~[illegible]~~ है। वादी स्वयं एवं वादी वकील उपस्थित नहीं होने के कारण आज न्यायालय समक्ष [illegible] तथा रद्द रद्द पर आगामी [illegible] तिथि भी वादी स्वयं एवं वादी वकील उपस्थित नहीं हुये। जिससे प्रकरण को अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी में स्थगित किया जाना उचित है। अतः प्रकरण को अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी में स्थगित किया जाता है। प्रकरण इसी तारीख पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हो।

[illegible]